**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

**(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 215/2015** **दायरा दिनांक : 09.09.2015**

**उनवान**

मदन लाल पुत्र श्री श्रवण लाल आयु 81 साल जाति कुम्हार निवासी समसपुर तहसील बारां जिला बारां राज.

.... अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 31.12.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपजिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – 26/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम समसपुर, तहसील बारां के खसरा नं. 526 की 29 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है। वर्तमान सेटलमेंट के बाद उक्त

आराजी के नये खसरा नम्बर 559 के रकबा 0.45 हैक्टर व ख.नं. 559/694 की रकबा 0.26 हैक्टर कायम किये गये।

उपरोक्त वर्णित आराजी सैटलमेंट से पूर्व व सैटलमेंट के बाद राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है, जिस पर प्रार्थी अपीलांट का करीब 50–55 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलांट खातेदारी घोषणा का अधिकारी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये राजस्व कैम्प में उपरोक्त दावा खारिज किया गया एवं वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रकार किया गया था । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमारे द्वारा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल की फुल बैंच में निर्णय दिनांक 30.08.2018 उनवान सरजू राव बनाम अमृत लाल

अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा वगैरह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय में तथ्यों का पूर्ण विवेचन किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, वैधानिक रूप से उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा